

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ .1 (ई )/अलेसे I/निप लिंक न . 9501/05


दिनांक :- 02 - 02 - 2021

कार्यालय आदेश

श्री कन्हैयालाल शर्मा [लिंक नं. 9501] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं , चूरू - [22753] जिनकी जन्म तिथि 10/05/1973 है, का दिनांक 10/01/2021 को निश्चय हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 10/01/2021 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल शर्मा के विरुद्ध :-

1. राजस्थान मित्रिल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान मित्रिल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


  
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
निदेशक

क्रमांक :- एफ .1 (ई )/अलेसे I/निप लिंक न . 9501/05

दिनांक :- 02 - 02 - 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. मंयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग , क्षेत्रीय कार्यालय .....
3. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं , चूरू को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री कन्हैयालाल शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी चूरू
5. श्रीमती मनीषा पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम , ग्राम पोस्ट-लखाउ चूरू राजस्थान 301001 को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं , चूरू के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबमाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन मीट / वरिष्ठता मीट / ए. सी. आर. शाखा

  
(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)